3

21-10-19 वादीगण के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियम तलबी का प्रार्थना पत्र एवं प्रतिवादगण अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 5 परिसीमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली नियत दिनांक 23-10-19 से सुनवाई हेतु पेश हुई। वादीगण ने अपने विड्रो प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के मध्यस्थता लगाई गयी है इसलिए वादीगण वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विड्रो प्रार्थनापत्र में सीमा लगने हेतु निवेदन किया है। वादीगण की परिस्थिति उनके अधिवक्ता के द्वारा समझी है। वादीगण का विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीगण का विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप वादीगण का वाद विड्रो से खारिज किया जाता है। पक्षकारों के समझौते के कागजात रिकार्ड से कम है तथा बाद तकमील प्रविष्ठ लेख लगाया है।

दस्तखत
रामबरन
रामदेव
कैलाश
प्रसाद

अ० अनिल दुबे
Adv
Tu
(राजेन्द्र प्रसाद
एड० पीठ)

उप खण्ड अधिकारी